

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम नवगछिया, भागलपुर।

जमानत आवेदन संख्या –118/2026

नवगछिया थाना कांड संख्या – 279/2025

अन्तर्गत धारा :-80,108 B.N.S.

1. बादल कुमार हरि उर्फ हरिजन उर्फ बादल कुमार हाड़ी आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

..... अभियोजन पक्ष

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता

—

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक—

श्री प्रभात कुमार

श्री परमानंद साह

01.06.2026

आवेदक अभियुक्त बादल कुमार हरि उर्फ हरिजन उर्फ बादल कुमार हाड़ी की ओर से प्रस्तुत जमानत को वापस लेने हेतु एक आवेदन आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आज दिनांक 01.06.2026 को दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई। प्रचालित वापसी आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

वापसी आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि उक्त जमानत आवेदन में कॉल फॉर एल0सी0आर0 की मांग की गई परंतु उक्त वाद कमीट होने के कारण विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिस कारण वे अपना जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं तथा वापस लेना चाहते हैं। अतः वापसी के आधार पर जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा वापसी आवेदन का विरोध नहीं किया गया।

प्रचालित वापसी आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि उक्त जमानत आवेदन में कॉल फॉर एल0सी0आर0 की मांग की गई परंतु उक्त वाद कमीट होने के कारण विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिस कारण वे अपना जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं तथा वापस लेना चाहते हैं, जिसका समर्थन विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा भी किया गया। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रस्तुत जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

ह0/—

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
नवगछिया, भागलपुर।